भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1980
दिनांक 05 अगस्त, 2026 के लिए उत्तर

एनएलएम और चारा संसाधन सततता को सुदृढ़ किया जाना

1980. डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:

श्री राजिंदर गुप्ताः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के अंतर्गत कुक्कुट पालन, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं, शूकर पालन तथा पशु आहार क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु कौन-कौन से विशिष्ट अंतःक्षेप कार्यान्वित किए गए हैं;

(ख) हरित चारे की उपलब्धता में कमी को दूर करने के लिए चारा बीज उत्पादन को बढ़ावा देने तथा चारागाह भूमि के पुनरुद्धार हेतु अपनाया गया कार्यनीतिक ढांचा क्या है;

(ग) क्या भूमिहीन एवं सीमांत पशुपालकों के लिए आनुवंशिक नस्ल सुधार तथा ग्रामीण आंगन में लघु व्यवसाय उद्यमिता के विशेष मॉडल को प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पशुधन क्षेत्र को अनुपूरक आय तथा ग्रामीण रोजगार के एक स्रोत के रूप में किस प्रकार विकसित किया जा रहा है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) में ग्रामीण पोल्ट्री प्रजनन फ़ार्म; भेड़,बकरी, सूअर, ऊँट, घोड़े और गधे के प्रजनन फ़ार्मों की स्थापना के साथ-साथ साइलेज जैसी पशु आहार और चारा ईकाइयों और कुल मिश्रित राशन (TMR)ईकाइयों की स्थापना के लिए व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्वयं-सहायता समूहों (SHGs), संयुक्त देयता समूहों (JLGs), किसान सहकारी संगठनों (FCOs) और धारा 8 कंपनियों को 50.00 लाख रुपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(ख) हरे चारे की उपलब्धता में कमी को दूर करने के लिए, भारत सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) कार्यान्वित कर रही है। इसका पशु आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन उच्च गुणवत्ता वाले चारे के बीज के उत्पादन और उसकी आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने पर बल देता है। इससे चारे के उत्पादन के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले ब्रीडर, फ़ाउंडेशन और प्रमाणित चारा बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए केंद्र और राज्य स्तर की विभिन्न बीज उत्पादक एजेंसियों को 100% आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

चारा ब्लॉक, हे बेलिंग और साइलेज बनाने वाली ईकाइयों की स्थापना के लिए व्यक्तियों, FPO, FCO, SHG, JLG और धारा 8 कंपनियों को 50 लाख तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वनीय, गैर-वनीय और अवक्रमित भूमि से चारा उत्पादन के लिए सहायता दी जाती है।चारे की उपलब्धता का आकलन करने, क्षेत्र-विशेष की कमियों की पहचान करने, चारा विकास के लिए कार्य-योजनाएँ तैयार करने और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य-स्तरीय पशु चारा कार्य-दलों (Fodder Task Forces) का गठन किया गया है। चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन ग्रामीण' (VB-G RAMG) के अंतर्गत 'सिल्वी-पास्चर ग्रासलैंड' के विकास कार्य को एक पात्र कार्यकलाप के रूप में शामिल किया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत स्थापित नस्ल वृद्धि फ़ार्म विशेष तरह के मॉडल फ़ार्म हैं जो पारंपरिक तरीकों के बजाय वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देते हैं। भेड़, बकरी, सूअर, ऊँट, घोड़े और गधे की अनुवांशिक नस्ल सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके लिए बकरी और भेड़ के लिए सीमन केंद्र और सीमन बैंक स्थापित करने, और गोपशु तथा भैंस के सीमन केंद्र के माध्यम से बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने के लिए सहायता दी जाती है। जनजातीय इलाकों में वन अधिकार अधिनियम(FRA) पट्टा धारकों को छोटी बकरी, भेड़, पोल्ट्री और सूअर इकाई के लिए धरती आबा - जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JUGA) के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

(ड़) पशुधन से साल भर नियमित रूप से नकद आमदनी होती है और यह मौसम में बदलाव से जुड़े जोखिमों को कम करते हैं। पशुधन क्षेत्र दूध, अंडे, मांस, ऊन, खाल और खाद से आय सृजन करके खेती में सहायता करता है। इससे प्रतिदिन या समय-समय पर नकद आमदनी होती है, जिससे परिवारों को दैनिक खर्च पूरे करने में मदद मिलती है। यह क्षेत्र कृषि के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में लगभग 30% का योगदान देता है और फसल क्षेत्र की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है। यह क्षेत्र वर्ष भर रोज़गार देता है। डेयरी व्यवसाय, पोल्ट्री उत्पादन, बकरी और भेड़ पालन, सूअर पालन, पशु आहार विनिर्माण, पशु चिकित्सा सेवा और दूध संग्रहण, प्रसंस्करण, परिवहन और विपणन में रोज़गार के अवसर मौजूद हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोज़गार सृजन करता है।

भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM), पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) और पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) जैसे कई अग्रणी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। इनके माध्यम से, भारत में पशुधन क्षेत्र अतिरिक्त आय, ग्रामीण रोजगार और आजीविका विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों और महिलाओं के लिए सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक बनकर उभरा है।